

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 481] नई दिल्ली, सोनवार, नवम्बर 19, 1979/कार्तिक 28, 1901
No. 481] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 19, 1979/KARTIKA 28, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1979

का. आ. 741(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग यह निर्देश देता है कि इसकी तारीख 29 अक्टूबर, 1979 की अधिसूचना सं. 434/म. प्र./79(2) में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी की मूव संख्या 37 “37-इन्दौर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर” के सामने स्तम्भ 2 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“1. विशेष कार्य अधिकारी, कलक्टोरेट, इन्दौर ।

2. उप-संचालक, भू-अभिलेख, इन्दौर ।

3. अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास, इन्दौर ।

4. लेखा अधिकारी, आयुक्त कार्यालय, इन्दौर ।”

[संख्या 434/म.प्र./79(2)]

आवेश से,

ओ. ना. नागर, अवसर सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 15th November, 1979

S.O. 741(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby directs that the following amendment shall be made in its notification No. 434/MP/79(2) dated 29 October, 1979 :—

In Col. 2 of the Table appended to the said notification, for the existing entries against item 37 ‘Returning Officer of 37-Indore Parliamentary Constituency’, the following entries shall be substituted, namely :—

- “1. Officer on Special Duty, Collectorate, Indore.
2. Deputy Director of Land Records, Indore.
3. Chairman, Town Improvement Trust, Indore.
4. Accounts Officer, Commissioner’s Office, Indore.”

[No. 434/MP/79(2)]

By Order,

O. N. NAGAR, Under Secy.